निवेदन

मैं पिछले 30–40 वर्षों से ऐसे ही अनेक विषयों पर लगातार सोचता रहा हूँ। मेरे कुछ मित्रों ने दस वर्ष पूर्व ऐसे ही विचारों को आधार बनाकर **'' नई दिशा ''** नाम से एक पुस्तक भी लिखी, जो दो–तीन बार ज्ञानतत्व में छप चुकी है। उसके बाद भी मेरा चिंतन लगातार जारी रहा। उस पुस्तक में लिखे गये कुछ विषयों पर मेरे विचारों में कुछ संशोधन भी हुआ तथा कुछ ऐसे भी नये विचार आये, जो उस समय तक मेरे चिंतन से बाहर थे। लगभग दो वर्षों से ए टू जेड चैनल ने मेरे ऐसे ही उटपटॉग विचारों को आधार बनाकर विद्वानों के बीच बहस भी कराने की पहल की, जो मेरे लिए और भी उत्साहवर्धक रही। अनेक बार तो मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे–ऐसे नामी अर्थशास्त्री, संविधान विषेशज्ञ, समाजशास्त्री या राजनेता श्रोंताओं के समक्ष मेरे विचारों की तुलना करने में बौने सिद्ध हो जाते थे, जो मुझे बहुत उत्साह बढाने मे सहायक था। कुछ विषयों पर ऐसे विद्वानों से चर्चा करने मे मै भी अपने विचारो मे संशोधन कर लेता था। लेकिन कुल मिलाकर मेरी हिम्मत बढी, और मैने अपने सब ज्ञानतत्व के पाठको के समक्ष अपने विचार स्पष्ट रूप से रखने की हिम्मत दिखाई। इस पुस्तक मे लिखे गये मेरे विचार मेरे निष्कर्ष नही है, बल्कि वे तो विचार मात्र है, जो आप सब लोगो की प्रतिक्रियाए आने के बाद और दृढ और मजबूत हो सकता है। मैने इस पुस्तक मे जो भी लिखा है उसे अधिक से अधिक कटु शब्दो मे व्यक्त करने का प्रयास किया है। जिससे भावना प्रधान लोग कुछ अधिक सक्रियता से अपनी बाते उठा सके। मेरा उददेश्य ऐसे भावना प्रधान लोगो की भावनाओ को चोट पहुचाना नही है। किन्तु मेरा उद्देश्य इतना अवश्य है कि हमारे ऐसे भावना प्रधान मित्रो की भावनाए घायल होकर मुझे उत्तर देने की पहल करे तथा उनके उत्तरो को आधार बनाकर साथ –साथ मेरे भी उत्तर ज्ञानतत्व मे इस प्रकार प्रकाशित हो जो एक यर्थाथ बहस का रूप ले सके तथा उस बहस के बाद कोई निष्कर्ष निकल सके। मै यह भी जानता हूँ कि अनेक चालाक लोग इस बहस में नही उलझना चाहेंगें। मेरी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि दूसरे दौर मे मै ऐसी भाषा का प्रयोग करूं, जो इन चालाक लोगो को भी गंभीर रूप से घायल कर सके तथा वे विचार मंथन मे अपना पक्ष रखने की पहल करे। मेरा आप सब पाठको से विनम्र निवेदन है, कि आप इन विषयों पर अथवा अन्य भी किसी मेरे विचारो पर स्पष्ट रूप से तर्क सहित अपनी प्रतिक्रिया दें।

आपसे प्राप्त होने वाली प्रतिक्रियाएं ही विचार मंथन का आधार बनेगी। मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य भेजें। आपके कटु शब्दों से मेरे मन मे आपके प्रति अच्छा ही संदेश जायेगा।

निवेदक– बजरंग मुनि

विषयः – ऐसा देश हो मेरा

1. परिभाषाएं	2. समस्याऍ	3. महिलाऍ
4. आर्थिक स्थिति	5. रामजन्म–भूमि	6. कश्मीर
7. संघ	8. इस्लाम	9.संगठन
10. चरित्र या व्यवस्था	11. संविधान दोषी	12. तानाशाही
13. राष्ट्र और समाज	14. भ्रष्टाचार	15. समान नागरिक संहिता
16. भाषा	17. गोहत्या	18. परिवार के अधिकार
19. फॉसी की सजा	20. भूत–प्रेत	21. हडताल चक्काजाम
22. गॉधी हत्या	23. नक्सलवाद	24. शिक्षा

25. ज्ञान	26. समानता	27. मूल अधिकार
28. आत्म हत्या	29. अपराध	30. शोषण
31. गॉधी और अंबेडकर	32. आरक्षण	33. राजीव गॉधी
34. न्यायपालिका	35. लोक स्वराज्य या यूटोपियन कल्पना	

1.परिभाषाएँ –पूरी दुनिया मे अनेक शब्दों की परिभाषाएँ या तो बनी ही नही है या धूर्त तत्वों ने विपरीत परिभाषाएँ बना रखी है। इनमे संविधान, स्वराज, अपराध, मंहगाई, बेरोजगारी, समानता, समान नागरिक संहिता, धर्म, मौलिक अधिकार आदि शब्द शामिल है। परिभाषा ही गलत होने से निष्कर्ष भी गलत निकलतें हैं।

2. समस्याएँ **1.** समस्याएँ पॉच प्रकार की होती है। 1. वास्तविक 2. कृत्रिम 3. प्राकृतिक 4. भूमण्डलीय 5. अस्तित्वहीन। भारतीय राजनीति विपरीत क्रम से समाधान करती है। सर्वाधिक शक्ति अस्तित्वहीन समस्याओं के समाधान मे लगााई जाती है। ऐसी अस्तित्व हीन समस्याओं में मंहगाई, शिक्षित बेरोजगारी, महिला उत्पीडन, दहेज, मुद्रास्फीति का दुष्प्रभाव आदि शामिल हैं।

2. **कृत्रिम** समस्याओं के समाधान मे भी भरपूर शक्ति लगाई जाती है जबकि वे समस्याएँ राजनेताओं द्वारा ही पैदा की जाती है या बढाई जाती है। इनमें हैं भ्रष्टाचार, आर्थिक विषमता, चरित्र–पतन, विदेशी कंम्पनियों का संकट, काला धन, सॉम्प्रदायिकता, जातीय कटुता, वन अपराध आदि।

3. महिलाएँ– –

1. समाज मे महिलाओं पर अत्याचार होता ही नही।
2. समाज मे महिलाओं के साथ कोई भेदभाव भी नही होता। परिवार मे महिला पुरूष के बीच का भेदभाव एक व्यवस्था थी न कि विकृति।
3. पति–पत्नी के बीच पति को हमेशा आक्रामक तथा पत्नी को आकर्षक होना चाहिए।
4. समाज मे महिला या पुरूष अलग–अलग होते ही नही। उनका अलग संगठन बनना ही बिल्कुल गलत है। संम्पूर्ण भारत मे कुल मिलाकर दो–चार लाख ही महिलाएँ या पुरूष होगें।
5. दहेज को एक समस्या बताना राजनेताओं का स्वार्थ मात्र है। दहेज कोई समस्या नही है न उसका कोई अस्तित्व है।
6. कन्या भ्रुण हत्या रोकने का प्रयत्न एक व्यर्थ की कसरत है। यहा तक कि अनेक नासमझ धर्म गुरू भी कन्या भ्रूण हत्या रोकने की सलाह देते है।
7. दिसम्बर 2012 माह मे जन्तर–मन्तर पर बलात्कार के विरूद्ध ऑदोलन करने वाली महिलाओं को भारत के पंचान्नवें प्रतिशत परिवारों की महिलाओं का कोई समर्थन नही था।
8. भारत मे स्वतंत्रता के बाद महिला सशक्तिकरण के जो भी कानून बने वे समाधान न होकर समस्या पैदा करने वाले अधिक हैं। ये सभी कानून समाज तोडक है । ये सभी कानून पश्चिम की नकल है।
9. बाल विवाह का विरोध एक गलत कार्य है। बाल विवाह पर प्रतिबंध समस्याए पैदा करता है। न कि समाधान।
10. तलाक सम्बन्धी कानून हटा लेना चाहिए।
11. परिवार मे महिलाओं के सम्पति सम्बन्धी बनाये गये अब तक के कानून बुरी नीयत से बनाये गये।
12. प्रेम विवाहों को प्रोत्साहन देना गलत कार्य है।
13. हिन्दू कोड बिल भारतीय विधायिका के लिए एक कलंक है।
14. महिला और पुरूष आग और बारूद के समान है। इनके बीच दूरी घटने से बलात्कार का खतरा बढेगा तथा दूरी बढने से सृजन रूकेगा।
15. वैश्यालयों को बिल्कुल फ्री कर देना भी बलात्कार की रोकथाम मे सहायक है।
16. बलात्कार संबंधी नब्बे प्रतिशत कानून अनावश्यक तथा अव्यवस्था पैदा करने वालें हैं।

17. परिवार के किसी सदस्य को परिवार मे रहते हुए भी अपने मौलिक अधिकार तो होतें हैं किन्तु संवैधानिक या सामाजिक अधिकार सामूहिक ही हो सकतें हैं, अलग–अलग नही। परिवार के सदस्यो को अलग अलग कानूनी या सामाजिक अधिकार देना समाज तोडक कार्य है। घातक है ।

18. दो प्रतिशत महिलाएँ ही आधुनिक होती है, खुले समाज का आचरण करतीं हैं। शेष 98 प्रतिशत पारंम्परिक परिवारों से होती हैं, बन्द समाज का आचरण करतीं है। खुले समाज की महिलाओं की अपेक्षा बन्द समाज की महिलाओं के आचरण का औसत बहुत अच्छा होता है । खुले समाज की महिलाओं के परिवारों मे पारिवारिक टूटन, तलाक आदि भी बन्द समाज की महिलाओं की अपेक्षा अधिक होता है।

19 – महिला और पुरूष के आपसी संबधो की सीमाए तो वे स्वयं तय करते है या वे परिवार जिनके वे सदस्य है कानून इसमे कोई दखल नही दे सकता।

20 – स्त्री. और पुरूष के बीच मे दूरी घटनी है या बढनी है इसका निर्णय परिवार करेगा कोई कानून नही।

21 यौन शोषण को बहुत अधिक संवेदनशील बनाना घातक है।इसमे समाज की अपनी संरचना विशेषकर पारिवारिक संचरना टूटेगी। बंद समाज और खुले समाज मे होने वाले यौन अपराधो का मापदण्ड अलग अलग होना चाहिये। बंद समाज मे किया जाने वाला यौन अपराध खुले समाज मे होने वाले वैसे ही अपराध की अपेक्षा अधिक कठोर दण्डनीय होना चाहिये। बलात्कार के अतिरिक्त यौन शोषण तो बिल्कुल ही साधारण अपराध होता है।

22 बलात्कार एक अपराध है। कुछ विशेष घटनाओ केा छोडकर बलात्कार उतना गंभीर अपराध नही है जितना डकैती। बलात्कार स्वय मे एक छोटा अपराध है। जिसे अनावश्यक इतना बडा बना दिया गया है। बलात्कार के लिये जब तक कोई अन्य गंभीर अपराध न जुडा हो तब तक पांच वर्ष से कम ही सजा पर्याप्त है।

23– महिला आरक्षण अन्य आरक्षणो की अपेक्षा कई गुना अधिक घातक है। समाज तोडक तो है ही, परिवार तोडक भी है। राजनीतिक षणयंत्र है। नासमझ सामाजिक विद्वान या धर्मगुरू ही महिला आरक्षण का समर्थन करते है। महिला आरक्षण को तत्काल पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिये।

4. आर्थिक स्थिति

1 भारत मे गरीबी घट रही है। गरीबों का भी जीवन स्तर सुधर रहा है। यह अलग बात है कि आर्थिक असमानता बढने के कारण गरीबों का जीवन स्तर धीरे–धीरे सुधर रहा है और अमीरों का बहुत तेजी से।

2 गरीबी रेखा मानवीय आधार पर नही बनती। मानवीय आधार पर सुरक्षा या सुविधा किसी नागरिक का अधिकार नही होता, राज्य का कर्तव्य होता है।

3 गरीबी रेखा राज्य अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर बनाता है न कि प्राप्तकर्ता की आवश्यकताओं को देखते हुए

4–1. स्वतंत्रता के बाद भारत मे गरीबों की संख्या लगातार घटी है। पिछले कुछ वर्षों मे बहुत तेजी से घटी है।

2. राजनेता विशेषकर साम्यवादी, वामपंथी, समाजवादी पूँजीपतियों के साथ मिलकर गरीबों के हितैषी बनने का ढोंग करते हैं। वास्तव मे यही लोग सबसे अधिक निम्न वर्ग को धोखे मे रखतें हैं।

5/1. स्वतंत्रता के बाद मंहगाई बहुत तेज गति से घटी है। पिछले कुछ वर्षों मे और भी ज्यादा तेज गति से घटी है।

2. मंहगाई के बढने का प्रचार बिलकुल झूठ है, समाज को धोखा देने वाला है। राजनेता सत्ता परिवर्तन के लिए, सरकारी कर्मचारी अपना वेतन बढवाने के लिए, पूंजीपति आर्थिक असमानता पर से ध्यान हटाने के लिए तथा बुद्धिजीवी श्रम शोषण करने के लिए मॅहगाई बढने का हल्ला करतें है।

6. बेरोजगारी का वर्तमान समय मे प्रचलित अर्थ बिलकुल झूठा है। यह अर्थ श्रम शोषण के उद्देश्य से प्रचलित किया गया।

7. कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि को रोकना श्रम शोषण का एक बडा हथियार है ।

8/1. भारत मे पूँजीपतियों तथा मध्यम वर्ग पर प्रत्यक्ष कर लगतें है तथा अप्रत्यक्ष सहायता दी जाती है। जबकि निम्न वर्ग पर अप्रत्यक्ष कर लगतें है तथा प्रत्यक्ष सहायता दी जाती है।

2. निम्न्न वर्ग को दी गई सहायता की अपेक्षा कर अधिक लगतें हैं और उच्च मध्यम वर्ग को दी गई सहायता की अपेक्षा कर कम लगतें है।

9. ग्रामीण व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए बनाई गई अर्थनीति के दुष्परिणाम हुए, शहरों की बढती आबादी। गॉव की आबादी का शहरों की ओर पलायन, बुद्धि जीवियों, पूजींपतियों तथा राज्य व्यवस्था की सोची समझी रणनीति का भाग है।

10. भारत मे आर्थिक विषमता बढी नहीं है, बल्कि योजना बद्ध तरीके से बढाई गई है।

11. सरकार के सभी आय–व्यय का बजट एक स्वतंत्र अर्थ पालिका द्वारा नियंत्रित होना चाहिए।

5 रामजन्म भूमि

1. रामजन्म भूमि प्रारंम्भिक काल मे ऐतिहासिक स्थल था, पूजा स्थल नही। कुछ हिन्दुओं ने अतिक्रमण करके ऐतिहासिक स्थल को पूजा स्थल बना दिया। बाद मे मुसलमानों ने उस पूजा स्थल को मुस्लिम पूजा स्थल मे बदल दिया।
2. रामजन्म भूमि विवाद का सबसे अच्छा समाधान यह है कि उसे रामजन्मभूमि रूपी ऐतिहासिक स्थल मे बदल दिया जाए। जिसकी व्यवस्था आयोध्या की नगर–निगम या नगर पालिका को दे दिया जाए।
3. यह भी समाधान संभव है कि उक्त स्थल को नीचे और उपर दो अलग–अलग पूजा स्थलों के रूप मे विकसित करने की अनुमति दी जाए, जिसके प्रवेश द्वार अलग–अलग हों।

6. कश्मीर

1 कश्मीर की समस्या भारत और पाकिस्तान की बीच की समस्या नही है। बल्कि मुस्लिम सॉम्प्रदायिकता के विस्तारवाद का परिणाम है। मुस्लिम सॉम्प्रादायिकता को संतुष्ट रखने के लिए पाकिस्तान कश्मीर समस्या को जिन्दा रखता है, और सॉम्प्रदायिक हिन्दु अनावश्यक पाकिस्तान से उलझतें रहतें है।
2 हिन्दू सॉम्प्रदायिकता कश्मीर समस्या को सुलझने नही देती।
3 पूरा कश्मीर भी पाकिस्तान को दे देना अथवा स्वतंत्र कर देना, इस समस्या का समाधान नही है।
4 कश्मीर मे अधिकाधिक बल प्रयोग भी समस्या का समाधान नही है।

5 धारा 370 को हटा देना कश्मीर समस्या का समाधान न होकर इस समस्या को और जटिल बना देगा।

6 कश्मीर मे जनमत संग्रह संबंधी प्रशांत भूषण के विचार अव्यावहारिक है, चाहे ये सुझाव सेना के लिए हो अथवा कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए।

7 सांम्प्रदायिकता को सिर्फ कुचला जा सकता है, संतुष्ट नही किया जा सकता, चाहे वह हिन्दू सांम्प्रदायिकता हो अथवा मुस्लिम सांम्प्रदायिकता।

8 कश्मीर समस्या को जिन्दा रखना पाकिस्तान की मजबूरी है, इच्छा नही। भारत को पाकिस्तान की यह मजबूरी समझनी चाहिए। संघ परिवार कभी नही चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधरे।

9 संघ परिवार हमेशा चाहेगा कि कश्मीर की समस्या कभी न सुलझे।

10 कश्मीर समस्या को उलझाने मे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक भूल का भी बहुत बडा योगदान रहा, जो उन्होनें अनाधिकृत रूप से कश्मीर में प्रवेश करके अपनी जान दे दी।

11 श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नीयत पर संदेह नही है, किन्तु उनका प्रयास निश्चित रूप से गलत था।

7. संघ

1 संघ परिवार पूरी तरह एक सांम्प्रदायिक संगठन है।

2 संघ परिवार आतंकवादी नही है किन्तु उग्रवादी है। गोडसे न संघ का सदस्य था न संघ संचालित । किन्तु गोडसे संघ और संघ परिवार की विचारधारा से पूरी तरह ओत प्रोत था।

3 गॉधी हत्या के बाद संघ परिवार को कुचल देना चाहिए था, किन्तु सरदार पटेल ने संघ परिवार के प्रति नरम रूख अपनाया जिसके बदले मे पंडित नेहरू ने मुस्लिम सांम्प्रदायिकता को बढावा दिया।

4 भारत मे वर्तमान सांम्प्रदायिकता के विस्तार के लिए पंडित नेहरू तथा सरदार पटेल समान रूप से दोषी है।

5 सभी सांम्प्रदायिक संगठनों के कार्यकर्ताओं का चरित्र बहुत अच्छा और उॅचा होता है। संघ परिवार का भी ऐसा ही है।

6 संघ परिवार की अनेक नीतियॉ दोषपूर्ण है जैसे– (क.) राष्ट्र को समाज से उपर मानना। (ख.) संस्था की अपेक्षा संगठन को महत्व देना। (ग.) राजनैतिक व्यवस्था से दूरी बनाने की अपेक्षा उसमे अधिकाधिक घुसने का प्रयास। (घ.) बल प्रयोग तथा हिंसा का अधिकतम समर्थन। (च.) अधिकारों के अधिकतम केन्द्रियकरण का समर्थन। (छ.) लोकतंत्र की जगह तानाशाही का समर्थन, लोकस्वराज्य का विरोध। ज– परिवार व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता के लिये सम्पूर्ण निष्क्रियता

7 संघ परिवार, इस्लाम तथा साम्यवाद की कार्यप्रणाली लगभग एक समान है। तीनो ही उग्रवादी संगठन है। तीनो के उग्रवादी विचारों के विस्तार का परिणाम है आतंकवाद। तीनों ही वर्ग विद्वेश, वर्ग संघर्ष के पोषक हैं तथा वर्ग समन्वय के विरोधी।

8 साम्यवाद का अतिवादी स्वरूप है नक्सलवाद। इस्लाम का अतिवादी स्वरूप है– आतंकवादी मानव बम, तथा संघ परिवार का अतिवादी स्वरूप है–अभिनव भारत।

9 संघ परिवार अपने राजनैतिक उदेश्यों की पूर्ति के लिए हिन्दू–मुसलमानों के बीच ध्रुवीकरण कराना चाहता है तथा साम्यवाद गरीब और अमीर के बीच में। इस्लाम सम्पूर्ण विश्व से अकेला ही टकराने का प्रयास करता है।

8. इस्लाम

1– इस्लाम दुनियां का सबसे अधिक साम्प्रदायिक संगठन है। मुसलमानो मे धर्म प्रेमियों की संख्या बहुत कम होती है और संगठन के प्रतिवद्ध लोगो की संख्या बहुत ज्यादा।

2– संगठन के बल पर मुसलमानो को दुनियां मे सर्वोच्चता प्राप्त करने मे न धर्म की कोई भूमिका रही है न विचारो की।

3– साम्यवादी राज्य को सर्वोच्च मानता है । इसाई व्यक्ति को। मुसलमान और संघ परिवार संगठन को। हिन्दू विचार को। वर्ण व्यवस्था मे हिन्दू विचार प्रधान होने से ब्राम्हण प्रवृत्ति इस्लाम तथा संघ परिवार क्षत्रिय प्रवृत्ति का इसाइयत वैश्य प्रवृत्ति तथा साम्यवाद शूद्र प्रवृत्ति के माने जाते है।

4– हिन्दुओं मे संघ परिवारो से जुडे लोग पूरी तरह मुसलमान सरीखे होते है। भले ही एक चोटी वाला मुसलमान हो और दूसरा दाढी वाला।

5– साम्यवादी भी कट्टरवादी मुसलमान और कट्टरवादी हिन्दू के समकक्ष ही होता हैं। इस तरह तीनो के पारिवारिक गुण एक समान है। भले ही तीनो आपस मे लडते हुए दिखे।

6– हिन्दू पूर्व जन्म को मानता है और स्वभाव से कभी कट्टर नही होता। हो सकता है पिछले जन्म का मुसलमान इस जन्म मे हिन्दू के घर मे जन्म ले ले और उसके संस्कार उसी तरह कट्टर हो जावे।

7–पूरी दुनियां मे साम्यवादियो की कट्टरता की पोल खुल चुकी हैं। मुस्लिम साम्प्रदायिकता की खुल रही है। संघ परिवार की साम्प्रदायिकाता की भी जल्द ही खुल जायगी।

8–धार्मिक मुसलमान को साम्प्रदायिक मुसलमानो से दूरी बनाना चाहिये ।

9 साम्प्रदायिकता को सिर्फ कुचला ही जा सकता है। उसे कभी भी संतुष्ट नही किया जा सकता है।

10– बिरले ही ऐसे धार्मिक मुसलमान हैं जिन्हें अपने घर के पास बसने की छूट देनी चाहिए अन्यथा इनसे दूरी बनाना ही अच्छा होता है।

11–शाहरूख खान अथवा आजम खान सरीखे अन्य लोगों की तो चर्चा करना व्यर्थ है लेकिन शाबाना आजमी जैसी सम्मानित, सामाजिक महिला भी जब कभी–कभी सॉम्प्रदायिक सोच से सोचना शुरू कर दे ंतो बहुत चिन्ता होती है।

12– मुसलमानों के विषय में अमेरिका की सतर्कता बहुत ही प्रशंसनीय है। वह तो खान शब्द को सुनते ही सतर्क हो जाता है। हम सब लोग इतना सतर्क नही रह पाते।

13– साम्यवाद के कमजोर होने के बाद विश्व के मुसलमानों ने साम्यवाद के साथ समझौता कर लिया।

14– भारत के साम्यवादी लगातार खाडी देशों की बहुत वकालत करते देखें जातें है। यहॉ तक कि व पूरी ईमानदारी से प्रयत्न करतें हैं कि भारत में डीजल पेटोल की खपत कम न हो क्योंकि यही तो खाडी देशों की रीढ है।

15– साम्यवादी यहॉ तक प्रयत्न करतें हैं कि भारत में बिजली का उत्पादन भी न बढने दिया जाए क्योंकि वे जानते हैं कि बिजली का उत्पादन बढने से डीजल, पेटोल की खपत पर बुरा असर पडेगा।

9. संगठन

1– किसी भी प्रकार का संगठन समाज के लिये घातक है। सामाजिक एकता को तोडने वाला है।

2– संगठन सुरक्षा के नाम पर प्रारंभ होता है। किन्तु शीघ्र ही शोषण करने मे संलग्न हो जाता है।

3 संगठन बनाने तथा उनकी सक्रियता पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिये।

4 संविधान बनाने वालो ने समाज शास्त्र का ज्ञान कम होने के कारण संगठन बनाने की छूट दे दी।

5 संगठन सभी घातक है चाहे वे जातीय, धार्मिक, भाषायी हो या व्यापारिक, कृषक या मजदूर के।

6 सिर्फ एक ही प्रकार के संगठन को संवैधानिक स्वीकृति होनी चाहिये और वह है दैवी प्रवृत्ति वालो का आसुरी प्रवृत्ति वालो के खिलाफ।

10. चरित्र या व्यवस्था

1– व्यवस्था मे विचार प्रमुख होते है चरित्र सहायक। कार्यान्वयन मे चरित्र प्रमुख होता है विचार सहायक।

2– संसद व्यवस्थापिका है अतः– उसमे विचार प्रधान लोगो को जाना चाहिये।

3 अन्ना हजारे तथा अरविन्द केजरीवाल भी संसद के लिये चरित्र की प्राथमिकता की बात करके भूल कर रहे है । वास्तव मे उन्हे चरित्र के अपेक्षा विचारो की बात करनी चाहिये।

4– व्यवस्था ठीक होने से चरित्र सुधरेगा । चरित्र सुधरने से व्यवस्था नही सुधरा करती।

11. संविधान दोषी

1– भारत की वर्तेमान सभी समस्याओ के लिये भारतीय संविधान दोषी है।

2– संविधान बनाने वालो मे बहुत से अच्छे और चरित्रवान लोग थे जो धोखा खा गये और कुछ चालाक लोग थे जिन्होने धोखा दे दिया।

3– अम्बेडकर जी और नेहरू जी बहुत चालाक राजनेता थे।

4– यदि सरदार पटेल भारत के प्रधान मंत्री बन जाते तो देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत बडा खतरा था। देश का प्रधान मंत्री उस समय की परिस्थितियों मे नेहरू जी का ही बनना उचित था।
5– सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार पटेल जी सरीखे लोगो की नीतियां गृहमंत्री के रूप मे तो बहुत उपयोगी हो सकती है। प्रधान मंत्री के रूप मे नहीं।
6– स्वतंत्रता के पूर्व सुभाष चंद्रबोस की नीतियां प्रयोग स्तर पर मान्य थी। स्वतंत्रता के बाद अब इन नीतियो की चर्चा करने का कोई औचित्य नही है।क्योकि ये नीतियां अब काल बाह्य हो गयी है।

7–संविधान में मौलिक कर्तव्य का अध्याय जोडना समाज को दूसरी बार धोखा देने का उदेश्य था। उसके पूर्व गॉधी को धोखा देने के लिए धारा 36से 51 तक को नीति निर्देशक सिद्धांत कहकर शामिल किया गया था। बीच में न्यायपालिका का पंख कतरने के लिए धूर्तों ने नवीं अनुसूची भी संविधान का भाग बना दी थी।

8– विधायिका को कार्यपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नही करना चाहिए। उसे नीतिगत निर्णयों तक सीमित होना चाहिए, तथा कार्यपालिका की समीक्षा कर सकती है। किन्तु मंत्री मंडल बनाकर विधायिका ने कार्यपालिका को गुलाम बना लिया। यह घातक है।

12. तानाशाही

1– तानाशाही समस्याओ का सबसे अच्छा संविधान है और समाज को गुलाम बनाकर रखने का सबसे प्रबल माध्यम हे।

2– तानाशाही से लोकतंत्र अच्छा होता है किन्तु लोकतंत्र समाधान नही है।

3– तानाशाही और अवयवस्था दोनो से छूटकारा पाने का एक ही आधार है लोक स्वराज्य जिसे कोई भी छोटे से लेकर बडे नेता तक को नफरत हे।

4– कोई भी नेता कभी नही चाहता कि देश लोक स्वराज्य की दिशा मे बढे।

5 स्वतंत्रता के बाद भारत राष्ट्र के रूप मे बहुत आगे बढा है। भौतिक उन्नति बहुत तीव्र हुई है तथा समाज लगातार नीचे गया है चरित्र पतन भी बहुत तीव्र हुआ है।

6– आज भी हर नेता भौतिक उन्नति की बात बहुत करता है किन्तु सामाजिक पतन को रोकने का कोई उपाय नही करना चाहता। क्योकि तानाशाही मे राष्टीय उन्नति के मार्ग छिपे है और सामाजिक पतन के ीी

13. राष्ट्र और समाज

1– समाज सर्वोच्च होता है राष्ट समाज के बाद।

2– हर राजनीतिज्ञ समाज को तोडने का प्रयास करता है और राष्ट को जोडने का । एक साधारण सैनिक का सीमा पर सर काटकर पाकिस्तान या चीन ले जावे तो पूरा देश उछल कूद की प्रतिस्पर्धा करने लगता है। समाज के किसी निर्दोष नागरिक का सर काटने वाला भले ही कभी न पकडा जावे।

3–देश का कोई नागरिक भोजन के अभाव मे भूखा मर जावे तो सारा देश चिन्तित हो जाता है। किन्तु समाज के अगर दस पाच लोग भी डाकुओ द्वारा मार दिये जावे तो देश उतना चिन्तित नही होता ।

4– हर राजनीतिज्ञ राष्ट भावना को विकसित करता है सामाजिक एकता को कमजोर ।

5– हर राजनेता पूरी ताकत से राष्ट को सर्वोच्च सिद्ध करने का प्रयास करता है।

6– इस राष्ट्र सर्वोच्च के घातक प्रयास मे संघ परिवार सबसे उपर है।

14. भ्रष्टाचार,

1 भ्रष्टाचार, बढा नही है बल्कि सोच–समझकर बढाया गया है। समाज किसी भी रूप **मे** भ्रष्टाचार का दोषी नही है, इसके लिए राजनैतिक व्यवस्था दोषी है।

2 कानूनों की मात्रा जितनी कम हो जायेगी, भ्रष्टाचार उतना ही कम हो जायेगा।

3 भ्रष्टाचार रोकने का एक ही उपाय है, कानूनों की मात्रा कम करना अर्थात अधिकतम निजीकरण तथा अधिकतम अकेन्द्रियकरण।

4 अकेन्द्रियकरण तथा विकेन्द्रियकरण बिलकुल अलग–अलग होतें हैं अकेन्द्रियकरण समाधान है। विकेन्द्रियकरण न समाधान न समस्या का विस्तार। केन्द्रियकरण समस्या है।

5 राजनीति मे बढते भ्रष्टाचार का कारण है सत्ता का केन्द्रियकरण। यदि सत्ता इसी तरह केन्द्रित होती रही तो अब भ्रष्टाचार की जगह गंभीर अपराध ले लेंगे।

15. समान नागरिक संहिता

1– समान नागरिक संहिता समाज की समस्याओ के लिये एक मात्र समाधान है। समान आचार संहिता समाजकी समस्याओ के समाधान मे बाधक है।

2– संघ परिवार समान नागरिक संहिता के नाम पर समान आचार संहिता को थोपने का प्रयास करता है।

3– देश के अधिकांश लोगो को नागरिक और व्यक्ति का अंतर जानने ही नही दिया गया।

17. गोहत्या

1–समान नागरिक संहिता और गो हत्या बंदी की बाते परस्पर विरोधी है।

2–समान नागरिक संहिता और हिन्दू राष्ट की बाते भी परस्पर विरोधी है।

3– गो हत्या बंदी के लिये सरकार को किसी प्राकर का कोई कानून नही बनाना चाहिये।

18. परिवार के अधिकार

1. संविधान निर्माताओं के प्रमुखों को परिवार व्यवस्था के प्रति या तो ज्ञान नही था या पश्चिम की नकल करने की धुन में उनसे भूल हुई।
2. परिवार की कोई स्पष्ट परिभाषा बनाई ही नहीं गई।
3. व्यक्तिगत सम्पति के अधिकार समाप्त करके परिवार को पहली इकाई बनाना चाहिये था।
4. अपराध नियंत्रण मे भी व्यक्ति की जगह परिवार को पहली जिम्मेदारी देनी चाहिये।

19. फॉसी की सजा

1. कुछ विशेष घटनाओ मे खुले चौक पर फांसी की भी प्रावधान शुरू करना चाहिये।
2. फांसी के विकल्प के रूप मे परिवार के निवेदन पर मानवीय फांसी का प्रावधान करना चाहिये।

20. भूत–प्रेत

1– आजतक मै इस निष्कर्ष तक नही पहुच सका कि भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना का अस्तित्व है या नही।

2– मैने वचपन से लेकर अब तक भूत प्रेत तंत्र संबंधी बहुत शोध किये किन्तु मै अन्तिम निष्कर्ष तक नही पहुंच सका।

21. हडताल चक्काजाम

1– लोकतंत्र मे हडताल चक्का जाम घेराव आदि कराने को, पूरी तरह प्रतिबंधित करके अपराध घोषित कर देना चाहिये।

2– वर्तमान समय मे हडताल घेराव चक्का जाम असंगठित लोगो के शोषण के लिये हथियार के रूप मे उपयोग किये जा रहे है।

22. गॉधी हत्या

1 गांधी के हत्यारे, उसके समर्थक, उसका औचित्य सिद्ध करने वाले तक समाज के लिये कलंक है। इनका नाम इतिहास मे कलंकित अक्षरो मे लिखा जायगा।

2 गांधी के हत्यारे, उसके समर्थक, उसका औचित्य सिद्ध करने वाले उच्च राष्ट्र भाव के लोग थे या हैं। यदि ये लोग गांधी विचारो के सम्पर्क मे आये होते तो नेहरू, अम्बेडकर आदि की अपेक्षा अधिक उपयोगी होते क्योकि उनकी नीयत खराब नही थी।

3 गॉधी की हत्या करने वालों को, अपने मरने के बाद भी स्वप्न मे अवश्य ही अफसोस होता होगा कि उनकी भूल के कारण ही गॉधी के विचारों की हत्या करने वाले गॉधी भक्तों का कार्य आसान हो गया।

4 यह तय करना बहुत कठिन है कि गॉधी के शरीर के हत्यारे तथा गॉधी विचारों के हत्यारों मे से कौन अधिक कलंक का पात्र है।

5 स्वतंत्रता के पूर्व गॉधी को प्रशासनिक अनुभव बिलकुल नही था। उस अनुभव के अभाव का परिणाम है कि आज समाज मे अधिकाधिक हिंसा का वातावरण दिख रहा है।

6 लोकतंत्र में अहिंसा समाज का कर्तव्य है और प्रशासनिक कमजोरी। गॉधी के नाम से प्रशासन में प्रशासनिक कमजोरी का परिणाम है समाज में लगातार फैलती हिंसा।

23. नक्सलवाद

1– नक्सलवाद किसी भी रूप मे यहां तक कि आर्थिक रूप से भी व्यवस्था परिवर्तन नही **है।**

2– नक्सलवाद सीधा सीधा लोकतंत्र की जगह तानाशाही लाने का प्रयाास है।
3– आज तक कई बार अपने नक्सलवादी मित्रो से पूछने के बाद भी किसी ने यह नही बताया कि वह नयी व्यवस्था मे कैसा संविधान लागू करेगा ?
4– सर्वोदय के लोग आमतौर पर इतने भोले भाले है कि वे नक्सलवाद तक का समर्थन करने लग जाते है और नक्सलवाद को व्यवस्था परिवर्तन का भाग मान लेते है।

24. शिक्षा

1– शिक्षा और ज्ञान बिल्कुल अलग अलग होता है । शिक्षा का चरित्र से कोई संबंध नही होता है।
2– शिक्षा पर सरकार को किसी भी प्रकार का कोई भी खर्च नही करना चाहिये।
3– या तो सभी सरकारी स्कूल बंद कर दिये जाय अथवा पढने वाले विधार्थियो से फीस लेकर खर्च किया जाय।
4– शिक्षा पर खर्च करना और कृषि उत्पादन, ग्रामीण उत्पादन, वन उत्पादन या श्रम उत्पादन पर टैक्स लगाना पूरी तरह अन्याय पूर्ण है। शिक्षा समर्थको को जवाब देना चाहिये।

25. ज्ञान

1– शिक्षा से ज्ञान प्राप्त नही होता।
2– ज्ञान का चरित्र पर प्रभाव पडता है।
3– ज्ञान प्राप्ति के तीन माध्यम है–1 जन्म पूर्व के संस्कार 2 परिवारिक वातावरण 3 सामाजिक परिवेश।
4– वर्तमान समय मे ज्ञान घट रहा है। चरित्र घट रहा है। और शिक्षा बढ रही है। अर्थात सब कुछ धूर्तों की योजना अनुसार ही परिणाम हो रहा है।
5– जो लोग चरित्र निर्माण के लिये शिक्षा मे सुधार की बात करते है वे गलत हैं। क्योकि शिक्षा से चरित्र का कोई संबंध नही है।

26. समानता

1– समानता और स्वतंत्रता बिल्कुल अलग अलग होते है।
2– प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकार समान होते है। अन्य अधिकार समान नही हो सकते।
3– आर्थिक दृष्टि से समानता की बात करना राजनैतिक षडयंत्र है। हर राजनेता सत्ता प्राप्त करने के लिये ऐसी बाते करता है।
4– समानता का व्यवहार करना कमजोरों का अधिकार नही है। मजबूतो का कर्तब्य हो सकता है।
5– जो लोग समानता को अधिकार समझकर संघर्ष करते है उन्हे पूरी तरह रोक देना चाहिये।
6– समानता शब्द को संविधान के उद्देश्यिका से निकालकर उसकी जगह स्वतंत्रता शब्द डाल देना चाहिए।

27. मूल अधिकार

1– संविधान निर्माताओ को मूल अधिकार की परिभाषा का ज्ञान नही था इसलिये उन्होने किन्ही भी अधिकारो को मूल अधिकार कहना शुरू कर दिया।
2– इस्लाम तथा साम्यवाद तो मूल अधिकारो को मानता ही नही।
3– तानाशाही मे मूल अधिकार पूरी तरह समाप्त हो जाते है।
4– मूल अधिकार ही लोकतंत्र की पहचान होते है।
5– चालाक लोग शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगार आदि को मूल अधिकार बता बता कर मूल अधिकार की परिभाषा को विकृत करतें हैं ये सब अधिकार संवैधानिक अधिकार होतें हैं मूल अधिकार नही। कुछ ना समझ लोग तो मतदान के अधिकार को भी मूल अधिकार कहना शुरू कर देतें हैं।

28. आत्म हत्या

1– स्वनिर्णय मूल अधिकार का एक भाग है आत्म हत्या स्वनिर्णय के अंर्तगत है।
2– आत्म हत्या अनैतिक हैं किन्तु अपराध नही।
3– आत्म हत्या पर कानूनी रोक पूरी तरह गलत है। देर सबेर न्यायालय इस बात को समझेगें ।

29. अपराध–

1- अपराध, गैरकानूनी तथा अनैतिक कार्य बिलकुल अलग–अलग होते हैं। सभी अपराध गैरकानूनी भी होतें हैं तथा अनैतिक भी किन्तु सभी अनैतिक या गैरकानूनी कार्य अपराध नही होते।

2- समाज मे किये जा रहे गलत कार्यो मे से एक–दो प्रतिशत गलत काम ही अपराध होते हैं। शेष अठान्वें–निन्यानवें प्रतिशत गलत कार्य या तो अनैतिक काम होते हैं या गैरकानूनी किन्तु अपराध नही होते।

3- संम्पूर्ण समाज की कुल आबादी मे से अपराधियों की संख्या दो प्रतिशत से कम ही होती है।

4- सामाजिक असामाजिक तथा समाज विरोधी कार्य बिलकुल अलग–अलग होतें हैं। हर समाजविरोधी काम असामाजिक भी होता है किन्तु हर असामाजिक कार्य समाज विरोधी नही होता। समाज विरोधी कार्य तथा अपराध एक ही होतें हैं। किन्तु गैर कानूनी तथा असामाजिक कार्य एक भी हो सकतें हैं तथा अलग–अलग भी।

5- किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को छोडकर अन्य कोई भी कार्य अपराध नही होता। सामाजिक अधिकारों का अथवा संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन अपराध नही होता। यह अलग बात है कि संविधान निर्माताओं को मौलिक अधिकारों का ज्ञान कम होने से अपराध, गैर कानूनी तथा अनैतिक कार्य आपस में मिल गये।

6- अपराध नियंत्रण के लिये गुप्त मुकदमा प्रणाली एक अच्छा समाधान है।

7- अपराध नियंत्रण राज्य का दायित्व होता है। अन्य जनहित के कार्य राज्य के स्वैच्छिक कर्तब्य है, दायित्व नही। यदि नेता गण दायित्व और कर्तब्य का भी अंतर न समझे तो भगवान ही मालिक है।

30. शोषण

1– शोषण कोई अपराध नही होता अनैतिक होता है।

2– शोषण को अपराध कहने वाले या तो धूर्त होते है या अज्ञानी।

3– आजकल शोषण को अपराध कहने वालों की बाढ आयी हुई है। समाज मे शोषण का व्यवसाय करने वाले दूसरो को शोषण से मुक्ति दिलाने का ज्यादा हल्ला करते है। क्योकि यही तो उनका व्यवसाय है।

31. डॉ. भीमराव अंबेडकर

1– भीमराव अम्बेडकर – किसी भी रूप मे संविधान के जानकार नही थे। उन्हे तो संविधान की परिभाषा भी नही मालूम थी। उन्हें ना मौलिक अधिकार की परिभाषा मालूम थी न अपराध, गैर कानुनी और अनैतिक का फर्क। उसी का परिणाम है कि संविधान की नकली परिभाषा समाज में प्रचलित हो गई।

2– भीमराव अम्बेडकर हिन्दू धर्म व्यवस्था को विकृत जाति व्यवस्था तथा विकृत वर्ण व्यवस्था से अधिक कुछ नही समझते थे।

3 भीमराव अम्बेडकर जीवन भर, प्रधान मंत्री बनने की तिकडम करते रहे। उनके मन मे हिन्दू व्यवस्था के प्रति कटुता थी।

4 अम्बेडकर जी ने हिन्दू धर्म की विकृतियों को दूर करने की अपेक्षा अपने राजनैतिक लाभ के लिये उनका उपयोग करने की कोशिश की।

5 प्राचीन समय मे श्रम जीवियो को शूद्र कहा जाता था। उन्हे ही आजकल श्रमजीवी कहा जाने लगा। अम्बेडकर जी ने वास्तविक शूद्रो तथा वास्तविक अछूतो के विरूद्ध षडयंत्र किया तथा चार– पॉच प्रतिशत बुद्धिजीवी शूद्रो और अवर्णो के साथ बुद्धिजीवी सवर्णो का समझौता करा दिया जिससे आरक्षण के नाम पर सब मिलकर श्रम का शोषण कर सके। उसी का परिणाम है कि आज भी पनचानवें प्रतिशत वास्तविक शूद्र तथा अछूत स्वतंत्रता के बाद भी श्रमजीवी के रूप मे भारत मे उसी तरह जी रहे है।

6 श्रम शोषण से लाभान्वित सभी बुद्धिजीवी चाहे वे सवर्ण हो अथवा अवर्ण, अम्बेडकर जी को भगवान की तरह मानते हैं जिन्होने उन्हे श्रम शोषण का संवैधानिक अधिकार दे दिया।

7 भीमराव अम्बेडकर ने हिन्दू कोड बिल पास कराकर ऐसा कार्य किया है, जिसके लिये संपूर्ण समाज उन्हे कभी माफ नही करेगा।

8 हिन्दू कोड बिल भारतीय लोकतंत्र के लिये एक कलंक है उसे जितनी जल्दी समाप्त कर दिया जाय उतना ही अच्छा है।

32. आरक्षण–

मै यह मानता हूँ कि हजारों वर्षों से भारतीय समाज व्यवस्था मे आरक्षण के कारण ही शूद्रों तथा अछूतों के साथ भेदभाव हुआ तथा उसके दुष्परिणाम भी हुए किन्तु मैं स्वतंत्रता के पूर्व के दुष्परिणामों को देखते हुए भी आदिवासियों या हरिजनों के आरक्षण के खिलाफ हूँ।

1. किसी भी प्रकार का आरक्षण संविधान की मूल भावना के बिल्कुल विरूद्ध होता है।
2. आरक्षण सुविधा के रूप मे दिया जा सकता है, अधिकार के रूप मे नही।
3. संविधान बनाने वाले समाज शास्त्री नही थे। उन्हें न संविधान की परिभाषा का पता था न कानून की। इसीलिए उन्होंनें आरक्षण को संविधान मे डाल दिया। आरक्षण स्वयं मे एक समस्या है समाधान नही।

जातीय आरक्षण बुद्धिजीवियों द्वारा श्रम शोषण के लिए एक हथियार के रूप मे उपयोग किया जाता है। महिला आरक्षण तो पूरी तरह परिवार तोडक, समाज तोडक षडयंत्र हैं ही।

33. राजीव गॉधी

1. राजीव गांधी ने एक बहुत ही विलक्षण कार्य किया कि उन्होने लीक से हटकर भी ग्राम सभाओ को संवैधानिक अधिकार दिये । इस कार्य के लिये उनका नाम राजनीति मे हमेशा स्वर्ण अक्षरों मे लिखा जायगा।

1. राजीव गांधी ने दल बदल विधेयक पास कराकर एक ऐसा कलंकित कार्य किया है, जिसके लिये भारतीय राजनीति मे हमेशा उनका नाम कलंक के रूप मे लिखा जायगा।

34.1 आदर्श न्यायपालिका

1– न्यायालय को विधायिका के संविधान सम्मत निणर्यो मे हस्तक्षेप नही करना चाहिये।

2–वर्तमान समय मे न्यायपालिका जनहित के नाम पर कार्य पालिका के कार्य अपने हाथ मे ले रही है जो घातक परंपरा है।

3– न्यायपालिका को जनहित याचिकाए बंद कर देनी चाहिये।

4– न्यायिक संक्रियता लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करती है।

5– न्यायाधीशों को न्याय करने का या न्याय को परिभाषित करने का भी कोई अधिकार नही होता। न्यायालय संवैधानिक न्याय के आधार पर फैसला मात्र कर सकता है।

6– न्याय करने तथा उसको परिभाषित करने का कार्य विधायिका का होता है। विधायिका संविधान के माध्यम से न्याय सम्मत कानून बनाती है।

7– न्यायपालिका की मनमानी का ही प्रमाण है कि न्यायपालिका प्रधानमंत्री के कार्यों पर तथा राष्टपति के कार्यों तक की समीक्षा करके, उसके लिए समय सीमा निर्धारित करती है। किन्तु अपने न्यायिक कार्यों के लिए कभी समय सीमा निर्धारित नहीं करती।

8– अनेक अपराधिक मुकदमें न्यायालयों में बीस–बीस वर्षों तक चलतें रहतें हैं, जिनकी चिन्ता न करके सर्वोच्च न्यायालय जनहित याचिकाओं में उलझकर लोकप्रियता प्राप्त करने का प्रयास करते रहता है।

9 न्यायपालिका ने विलंबित दण्ड को आधार बनाकर राष्ट्रपति के क्षमा अधिकार को पुनः विचार के लिये लिया है। वह मनमोहन सिंह के कार्यकाल के बाद किसी मजबूत प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होने की स्थिति मे संवैधानिक टकराव का आधार बन सकती है।

10– भारत की परिस्थितियों को देखते हुए न्यायिक सिद्धांत में संशोधन होना चाहिए, जो न्यायपालिका नही कर रही है।

34–2 न्यायपालिका वर्तमान स्थिति में जब विधायिका उच्श्रृंखल हो

1– संविधान बनाने में समाज तथा संसद की समान भूमिका होती है।

2– संसद ने षडयंत्र पूर्वक संविधान को बन्दी बनाकर रखा हुआ है। जब चाहे तब संसद संविधान को ढाल बना लेती है और जब चाहे तब उसमें मनमाना संशोधन करके उसका दुरूपयोग कर लेती है।

3–संविधान निर्माताओं की भूल के कारण ही भारत में संसदीय लोकतंत्र लागू हुआ, अन्यथा लोकतांत्रिक संसद बननी चाहिए थी।

4– संसदीय लोकतंत्र का स्वरूप होने के कारण ही संसद स्वयं को सर्वोच्च समझने लगी, अन्यथा लोकतंत्र में विधायिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका की समान भूमिका होती है।

5– वर्तमान समय में लोकतंत्र को प्रदूषित करने की पहल विधायिका ने की,

6– पिछले 10–15 वर्षों से न्यायपालिका ने विधायिका के इस षडयंत्र को कमजोर किया जिसके लिए उसे जनहित याचिका जैसे कदम भी उठाने पडे। न्यायपालिका ने विधायिका के भष्मासुर बनने से समाज को बचा लिया, उसके लिए वह बधाई की पात्र है।

7– विधायिका के चंगुल से कार्यपालिका को निकालने का प्रयत्न भी न्यायपालिका का जारी है।

35. लोक स्वराज्य या यूटोपियन कल्पना

1– यदि लोक संसद बन जाती है तो पच्चीस प्रतिशत लोकस्वराज्य माना जा सकता है। यदि साथ मे राइट टू रिकाल भी हो जाए तो पचास प्रतिशत भी मान सकतें हैं। यदि परिवारों से लेकर ग्राम सभा तथा जिला सभा को अधिकार दिये जाते हैं तो हम पचहत्तर प्रतिशत लोकस्वराज्य भी कह सकते हैं। पूर्ण लोकस्वराज्य तो वही माना जायेगा जब सेना, पुलिस, वित्त, विदेश, न्याय सरीखे विभागों को छोडकर बाकी सारे विभाग परिवार सभा को सौंप दिये जाएं। परिवार से लेकर राष्ट्र तक अपने अधिकार उपर की ईकाइयों को दे सकते हैं तथा वापस भी ले सकतें हैं।

2– सेना, पुलिस, वित्त, विदेश, न्याय सरीखे विभागों में भी परिवार से लेकर राष्ट्र तक अपनी अलग व्यवस्था कर सकते हैं जो केन्द्र से टकराव में न हो।

3– आदर्श व्यवस्था तो तब होगी जब राष्ट्र से भी उपर एक विश्व की एक सामाजिक व्यवस्था होगी और पूरी दुनिया का एक संविधान होगा।

4– परिवार से लेकर राष्ट तक की ईकाइयों की अपनी–अपनी सीमित अधिकारों वाली संसद होगी और प्रत्येक ईकाइ का अपना–अपना ईकाइगत संविधान होगा।

एक टिप्पणी आचार्य पंकज जी की

मैंने बजरंग मुनि जी के उपरोक्त विचारो मे से बहुतो को पहले सुना है। बहुतो को ए टू जेड चैनल मे विद्वानो के बीच बहश मे सुना है तथा कुछ ऐसे भी है जो इस पुस्तक मे नये है। मै मुनि जी के विचारों मे से अनेक से सहमत हुआ और अनेक विचार ऐसे भी रहे, जो मेरे और उनके बीच अब तक अनिर्णित है। मै यह अवश्य मानता हूँ कि मुनि जी की भाषा बहुत कटु है किन्तु मै यह भी जानता हूँ कि वे वास्तव मे सत्य शोधक है। यदि आपके उत्तरो मे तर्क होगे तो मुनि जी अवश्य ही सम्मान करेगे। मेरा भी यह निवेदन है कि पाठकगण अपनी समीक्षा भेजे अपने विचार भेजे। मै उसके बाद आप सब दोनो पक्षो के विचारो को सुनकर कुछ अपने भी निष्कर्ष निकाल सकूंगा।

–आचार्य पंकज